राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–160/2015/कोटा

सीताराम पुत्र सूरजमल जाति भील, निवासी ग्राम रांवठा,
तहसील लाडपुरा जिला कोटा .....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये उप–पंजीयक कोटा
2. मोहनलाल मीणा पुत्र देवलाल मीणा, जाति मीणा निवासी इम्मानुअल स्कूल के पास, डडवाड़ा जिला कोटा

.....अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

अनुपस्थित ....प्रार्थी की ओर से

श्री आर.के. अजमेरा
उप राजकीय, अभिभाषक। .....अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

निर्णय दिनांक : 17.10.2016

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी श्री सीताराम द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक), कोटा (जिसे आगे **'कलक्टर मुद्रांक'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 31.03.2004 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसमें कलक्टर (मुद्रांक) ने उप पंजीयक कोटा द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सुखपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 14 रकबा 0.57 हैक्टर एवं आराजी खसरा नम्बर 15 रकबा 0.59 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.16 हैक्टर में 1/8 हिस्से के खातेदार प्रार्थी के पिता सूरजमल व उनके उपरान्त वर्तमान प्रार्थी था। प्रार्थी द्वारा वर्ष 2010 में प्रश्नगत भूमि के अन्य सह खातेदार सहित अपना हिस्सा रामगोपाल पुत्र माधोलाल को विक्रय कर दी गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 ने एक मुख्त्यारनामा जो प्रश्नगत भूमि के खातेदार द्वारा श्री रामप्रसाद के पक्ष में निष्पादित था, जिसमें प्रश्नगत भूमि का विक्रय मोहनलाल मीणा के पक्ष में किये जाने का तथ्य अंकित था। उक्त मुख्त्यारनामा को आधार बनाते हुए कलक्टर (मुद्रांक) वृत्त कोटा के समक्ष प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश द्वारा मुख्त्यारनामा में वर्णित कथनों को विक्रय करना मानते हुए तद्नुसार मुद्रांक व कमी पंजीयन शुल्क लिए जाने का आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. प्रकरण इस एकलपीठ के समक्ष प्रस्तुत होने पर प्रार्थी की तरफ से बार–बार आवाज लगाने के बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के. अजमेरा उपस्थित आये।

4. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि निगरानीकर्ता ने राजस्थान स्टाम्प अधिनियम की धारा 65

२५८/

लगातार.................2

के परन्तुक के प्रावधान की पालना में वसूली राशि के 50 प्रतिशत का संदाय नहीं किया है व अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति भी संलग्न नहीं की है जिससे निगरानी ग्राहयता के बिन्दू पर ही खारिज योग्य है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल्यांकन भी सही किया गया है। अतः निगरानी इसी स्तर पर खारिज की जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

6. पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि पत्रावली में संलग्न राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 65 के परन्तुक की पालना में वसूली राशि के 50% का संदाय किये जाने का समाधानप्रद सबूत संलग्न नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए इस न्यायालय द्वारा पत्र क्रमांक 16972 दिनांक 12.06.2015, 18525 दिनांक 01.07.2015, 19246 दिनांक 08.07.2015, 23575 दिनांक 19.08.2015, 3787 दिनांक 01.02.2016 तथा 10185 दिनांक 15.03.2016 द्वारा प्रार्थी के अभिभाषकगण को पत्र लिखकर सूचित किया गया है परन्तु उसके बावजूद भी न तो 50% राशि जमा कराने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है व न ही अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. निगरानीकर्ता ने इस निगरानी के साथ वसूली राशि के 50 प्रतिशत राशि संदाय करने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इस संबंध में निगरानीकर्ता को बार–बार अवसर भी प्रदान किया है। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम की धारा 65 के परन्तुक के प्रावधान के अनुसार पुनरीक्षण आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जा सकता जब तक कि वसूली राशि के 50 प्रतिशत का संदाय किये जाने का समाधानप्रद सबूत उसके साथ नहीं लगा हुआ हो। साथ ही निगरानीकर्ता ने अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत नहीं की है जिससे प्रकरण ग्राहयता के स्तर पर ही खारिज योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी ग्राहयता के स्तर पर ग्राहय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

नत्थू राम

(नत्थू राम)
सदस्य